इकाई 13 आरक्षण*

संरचना

13.0 उद्देश्य
13.1 प्रस्तावना
13.2 आरक्षण क्या है?
13.3 सांविधानिक प्रावधान
13.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण
13.5 ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण का इतिहास
13.6 केन्द्रिय सरकारी संस्थाओं में ओ.बी.सीज. के लिए आरक्षण
    13.6.1 काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट
    13.6.2 मंडल आयोग की रिपोर्ट
13.7 राज्यों में ओ.बी.सीज. के लिए आरक्षण
13.8 कर्पूरी ठाकुर फार्मुला
13.9 महिलाओं के लिए आरक्षण
13.10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस) के लिए आरक्षण
13.11 सारांश
13.12 संदर्भ
13.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

13.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह समझ सकेंगे :

- आरक्षण के अर्थ की व्याख्या करना;
- आरक्षण की जरूरत पर चर्चा करना; और
- भारत में विभिन्न समूहों के लिए आरक्षण नीतियों की व्याख्या करना।

13.1 प्रस्तावना

सभी मनुष्य समान नहीं है। वे विभिन्न समुदायों में जन्म लेते है जिसमें आर्थिक अवसरों, सामाजिक हैसियत, राजनीतिक अधिकार, शैक्षिक उपलब्धियों आदि का स्तर समान नहीं होता है। इस प्रकार उनकी जरूरतें पूरी करने की समान क्षमता नहीं होती। असमानता का स्तर व्यक्तियों और समुदायों की क्षमताओं के साथ संबंधों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस संदर्भ में, सभी समुदायों के लोगों के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन नहीं है। भारत में, जातियों, जनजातियों और लिंग समूहों में तथा गरीब और अमीर के बीच असमानता पाई जाती है। इन समुदायों को एस.सी, एस.टी., ओ.बी.सी., पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर समूह के रूप में जाना जाता है। असमानताओं के चलते सभी समुदाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समान रूप से सक्षम नहीं हो सकते। सभी

---

*प्रो. आर.के. बारिक, आई.आई.पी.ए. (सेवानि.), नई दिल्ली

के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए राज्य को यह जरूरी है कि समाज के कम सुविधा प्राप्त समूहों को विशेष सहायता दी जाये। विशेष सहायता एक प्रतिपूरक कदम है, जो राज्य द्वारा वंचित वर्गों या समूहों को उन असमानताओं के लिये प्रदान की जाती है, जिनका वे पिछले या समकालीन समय में सामना कर रहे हैं। एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी, महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.वी.एस) के लिए आरक्षण प्रतिपूरक उपाय है, जो भारत में वंचित वर्गों को अपना कल्याण प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाते हैं।

13.2 आरक्षण क्या है?

आरक्षण एक उपाय है जिसके माध्यम से कुछ पदों को रोजगार में सुरक्षित किया जाता है तथा संसद, राज्य विधान मंडल एवं स्थानीय निकायों में कमजोर वर्गों - अनुसूचित, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों अथवा ई.वी.एस., के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। आरक्षण का लाभ किसी भी ऐसे समूह द्वारा नहीं किया जा सकता जो कानून द्वारा उनके लिए हकदार नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? समाज के उन वर्गों की सहायता की आवश्यकता है जो राज्य या किसी अन्य अभिकरण की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। क्या आरक्षण अनारक्षित वर्गों के खिलाफ या भेदभावपूर्ण है? यह सकारात्मक अर्थ में भेदभाव पूर्ण है न कि नकारात्मक अर्थ में। इस तरह के भेदभाव के लिए उन्हें राज्य की सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि अनारक्षित वर्ग को बराबर लाया जा सके। इस अर्थ में आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। क्योंकि आरक्षण की पहल राज्य द्वारा की जाती है इसलिए इसे सकारात्मक कार्यवाही भी कहा जाता है। भारतीय राज्य विभिन्न समुदायों को भिन्न आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रमुख आधार सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत जैसी समस्या रही है जिन्हें उन्होंने बहुत समय से अनुभव किया है। जबकि अनुसूचित जनजातियों को उनके भोगोलिक तथा अन्य कारणों से उत्पन्न अभावों के आधार पर आरक्षण दिया गया है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण दिया है। महिलाओं को आरक्षण समाज में उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव एवं पितृसत्ता जैसे मूल्यों के आधार पर दिया गया है। जबकि गरीब वर्गों को उनके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण उन समुदायों को दिया गया है जिन्हें किसी भी वर्ग्र में आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये मूल रूप से उच्च जातियों से संबंध रखते हैं।

13.3 संवैधानिक प्रावधान

एक समतावादी और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के उद्देश्य से अनु. 15 (4) और 16 (4) के अनुसार पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में आरक्षण का आश्वासन देने वाले अनुच्छेदों का समावेश संविधान सभा में वाद-विवाद का परिणाम था। संविधान सभा में आरक्षण के विषय पर तीन तर्क थे। दो तर्कों ने आरक्षण का विरोध किया। तीसरे ने उसका समर्थन किया। आरक्षण का विरोध करने वाले एक तर्क ने रेखांकित किया कि इससे योग्यता और क्षमता में कमी आयेगी। इससे समाज के अंदर बंटवारा पैदा होगा। जबकि दूसरे तर्क ने आरक्षण का विरोध नहीं किया। सैद्धांतिक तौर पर तो विरोध नहीं किया लेकिन यह माना कि इससे समाज में असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता। तीसरा तर्क जिसने आरक्षण को पूरी तरह से समर्थन किया था, उनका मानना था कि पिछड़ी जातियों ने कई सदियों तक भेदभाव का सामना किया है तथा वे आग भी इसका सामना कर रही है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी। इन पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने से समाज में व्याप्त असमानताओं की व्यवस्था का हल किया जा सकता है। संविधान सभा के कई

सदस्यों जिन्होंने आरक्षण का समर्थन किया था, निम्न तर्क दिये थेः- कमजोर तबको को विशेष लाभ देने चाहिए जैसे कि आरक्षण तथा इससे अन्य पिछड़े वर्गों की आशाएं भी पूरी हो जायेगी। आरक्षण को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1950 में एक अध्यादेश पारित किया। इस अध्यादेश ने एस.सी. और एस.टी. वर्गों की पहचान की जिन्हें आरक्षण दिया जा सके। लेकिन इसने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान नहीं किया। हालांकि इसने ''पिछड़े वर्ग'' या ''कमजोर वर्ग'' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा यह हुआ कि इसने, दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों का आंदोलन द्रविड़ कड़गम (डी.के.) के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस माँग के प्रत्युत्तर में केन्द्र सरकार ने नेहरू के नेतृत्व में प्रथम संविधान संशोधन पारित किया और संविधान में अनु. 15 में एक उपवंध (4) जोड़ा गया जिसने अनु. 15 (4) को रूप ले लिया था। इस अनु. में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों की पहचान की गयी थी। 1951 में मद्रास सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें पिछड़े वर्गों एवं एस.सी. के लिए आरक्षण देने की बात थी (शाह सं. 2002)। ओ.बी.सी. वर्गों के लिये आरक्षण केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने आयोग की सिफारिशों के बाद अपने-2 क्षेत्र में लागू किया था। जैसा कि आप इस इकाई में पढ़ेंगे दो आयोगों - 1953 में कालेलकर आयोग एवं 1979 में मंडल आयोग का गठन किया था जिसने पिछड़े वर्गों की पहचान की थी ओर उन्हें केंद्रिय सरकारी संस्थाओं आरक्षण देने की सिफारिश की थी। विभिन्न राज्य सरकारों ने भिन्न-भिन्न समय में आयोग गठित किये थे ताकि पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके एवं उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकें।

13.4 अनु. जाति एवं जन-जाति के लिए आरक्षण

अनु. जातियों के लिये आरक्षण की उत्पत्ति पूना समझौते से से जुड़ी हुई है। जिस पर गाँधी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किये थे। पूना समझौते के अनुसार, अनुसूचित जातियों को विधानसभा और संसद में आरक्षण दिया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, तहत आरक्षण को कानूनी मंजूरी दी गई थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति सदस्यों का प्रतिनिधित्व था जिनका ब्रिटिश भारत में विधायी स्वीकृति थी। संविधान सभा में आरक्षण की चर्चा की गयी। संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें सार्वजनिक संस्थानों में अनु. जाति तथा अनु. जन-जातियों के लिये आरक्षण का सुझाव दिया गया। तदनुसार, आरक्षण के बारे में उपबंध संविधान के अनु. 15 और 16 में शामिल किये गये। 1950 में संविधान में लागू होने के साथ-साथ ये प्रावधान भी प्रभावशील हुए। 1947 में अनु. जाति तथा जन-जातियों के आरक्षण को रोजगार और विधानमंडल में लागू करने का निर्णय लिया गया। 1954 में शिक्षा संस्थानों में इसका विस्तार हुआ। केन्द्र सरकार द्वारा निधिकृत उच्च शिक्षा संस्थाओं में 22.5 प्रतिशत उपलब्ध सीटें अनु. जाति और 7.5 प्रतिशत अनु. जन-जाति के छात्रों के लिए आरक्षित है।

13.5 ओ.बी.सी. आरक्षण का इतिहास

यद्यपि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों जैसे अनु. जाति, अनुसूचित जन-जाति, महिला वर्ग, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन इसका इतिहास औपनिवेशिक काल से ही रहा है। सन 1880 में औपनिवेशिक सरकार के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की। ज्योतिराव फूले ने हंटर आयोग के समक्ष अपील की थी। 1902 में कोल्हापुर के महाराजा साहू जी इन वर्गों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही। आधुनिक भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है आरक्षण देने का। 1921 में मद्रास सरकार ने समुदाय मुताबिक आरक्षण देने का प्रावधान किया वो इस प्रकार है : 44

प्रतिशत गैर-ब्राह्मणों को, 16 प्रतिशत ब्राह्मणों एवं मुस्लिम, ईसाई और ऑग्ल-भारतीय लोगों, प्रत्येक के लिए।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) आरक्षण क्या है?

....

....

....

....

....

....

2) संविधान सभा में आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में क्या-क्या तर्क दिये गये थे?

....

....

....

....

....

13.6 केन्द्रिय संस्थाओं में ओ.बी.सीज. के लिए आरक्षण

13.6.1 काका कालेलकर रिपोर्ट

केन्द्रिय स्तर पर आरक्षण आरंभ करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1953 में प्रथम ओ.बी.सी. आयोग का गठन किया जिसे कालेकर आयोग कहा गया जिसके अध्यक्ष काका कालेकर थे। कालेकर आयोग में ग्यारह सदस्य थे। इनमें से अधिकांश नीची जाति के थे तथा इसके अध्यक्ष काका कालेकर ब्राह्मण थे जो कि गुजरात के स्वतंत्रता सेनानी थे। उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। ओ.बी.सी. वर्गों की पहचान के लिये कालेकर आयोग ने चार कसौटियों का इस्तेमाल कियाः (1) हिंदू समाज में जाति सोपान में नीची सामाजिक स्थिति, (2) जाति या समुदाय के अधिकतर लोगों में शैक्षिक प्रगति का अभाव या कमी, (3) सरकारी सेवा में अपर्याप्त या कोई प्रतिनिधित्व नहीं तथा (4) व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। कालेकर आयोग ने केन्द्रिय सरकार की सरचनाओं में आरक्षण पाने के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से 2399 जातियों की पहचान की। लेकिन केंद्र सरकार कालकेर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। उसने यह तर्क दिया कि आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड लागू नहीं किये (शाह, सं 2002; जैफरलो 2003) तथा आरक्षण तब तक नहीं दिया जब तक कि अन्य आयोग का

गठन नहीं किया गया। यह मंडल आयोग था जिसे 1993 में लागू किया गया था। अगले उपखण्ड से आप मंडल आयोक के विषय में पढ़ेंगे।

13.6.2 मंडल आयोग की रिपोर्ट

कालेकर रिपोर्ट की सिफारिशों को अस्वीकार करने से पिछड़े वर्ग नाराज हो गये। 1950 के दशक में कालेकर की रिपोर्ट को अस्वीकार किये जाने के समय से लेकर 1990 में वी. पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा तक पिछड़े वर्ग, समाजवादी नेताओं और राजनीतिक दलों तथा किसानों के नेताओं ने केन्द्र में सर्वजनिक स्थानों पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए समर्थन प्राप्त किया। राज्यों में आरक्षण के संबंध में दक्षिण भारत के राज्यों में 1950 से 1970 के दशकों में आरक्षण लागू कर दिया था और उत्तर भारतीय राज्यों में यह माँग अधिक बनी रही। 1970 के दशक के मध्य तक सार्वजनिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाज के लिए एक साझा एजेंडा बन गया। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को किसानों का खासकर जाट, यादव, कुर्मियों का समर्थन था तथा हिंदी बेल्ट में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन (ए.आई.बी.सी.एफ) का भी बना। 1977-79 में जनता पार्टी ने केन्द्र में सरकार बनाई थी उसमें मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व था। पिछड़े वर्गों की पहचान करते और केन्द्र सरकार के संस्थानों में आरक्षण शुरू करने के प्रयास सुझाने के लिए मोरारजी देसाई सरकार पर दबाव डाला गया और पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने की माँग की गई। इस प्रकार 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष बी. पी. मण्डल थे। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के लिए ग्यारह मापदंड तय किये थे और उन्हें तीन श्रेणियों में रखा। इनमें सामाजिक, आर्थिक और शेक्षिक श्रेणी थी जो कि पिछड़े वर्गों की पहचान कर सके। आयोग ने लगभग 3743 जातियों की पहचान की जो कि पिछड़े वर्ग में आ सके। इनकी जनसंख्या करीब 52 प्रतिशत थी। जैसा कि सब जानते हैं 1931 की जनगणना के बाद जाति जनगणना हुई थी। इसी जनगणना को आधार बनाकर मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों की पहचान की थी।

मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी। इसके बाद इसे लागू करने की माँग उठने लगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के ओ.बी.सी. नेताओं ने इसे लागू करने की माँग उठाई। काँग्रेस से निकलने के बाद वी. पी. सिंह ने जनता दल का गठन किया। जनता दल में कई ओ.बी.सी. नेता भी शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप जनता दल के चुनावी घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिसों को लागू करने को शामिल किया गया था। 1989 के लोक सभा चुनावों में इसे विशेष रूप से घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। इन चुनावों में काँग्रेस की पराजय हुई थी और वी. पी. सिहं ने नेतृत्व (1989-90) में गैर काँग्रेसी दल जनता दल की सरकार बनी थी। यह एक गठबंधन की सरकार थी जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा और वाम-मोर्चा शामिल थे। क्योकि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की माँग घोषणा पत्र में शामिल थी इसलिए वी.पी. सिंह की सरकार ने जुलाई, 1990 में इसे लागू करने की घोषणा की।

इस रिपोर्ट के लागू हाने के बाद देश में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, विशेषकर उत्तर भारत में। कई याचिकाऐं भी इसके खिलाफ दायर हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को एक साथ 1992 में इन्द्रा साहनी बनाम सरकार के मामले में सुनवाई की। इसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विधि को उचित ठहराया। लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगाईः पहली, इन वर्गों के अंदर क्रीमी लेयर लोगों को (आर्थिक रूप से मजबूत) लोगों को

इससे बाहर रखा जाये। उन्हें ओ.बी.सी. आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि गैर क्रीमी लेयर, को आय की न्यूनतम सीमा में रखी गयी है। दूसरी, आरक्षण की अधिकतम सीमा वर्गों को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें एस.सी., एस.टी. के लिए 22.5 प्रतिशत रखी गयी जबकि ओ.बी.सी. के लिये यह सीमा 27.5 प्रतिशत रखी गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को 1993 में स्वीकार कर लिया था। 2006 में यू.पी.ए. ने सरकार ने केन्द्रिय सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में ओ.बी.सी. आरक्षण का विस्तार कर दिया था।

अभ्यास प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) कालेलकर आयोग की रिपार्ट क्या थी?

....

....

....

....

....

....

....

2) मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या थी?

....

....

....

....

....

13.7 राज्यों में ओ.बी.सीज. के लिए आरक्षण

काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन से पिछड़े वर्गों में नाराजगी फैल गयी। दक्षिण भारत में पेरियार के नेतृत्व में डी.के. का आंदोलन हुआ और उत्तर भारत में समाजवादी तथा पिछड़े वर्ग की माँग बढ़ती ही जा रही थी। जैसा कि आपने उपखंड 13.6.2 में पढ़ा है मंडल आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त किया गया। 1970 के दशक में, अनेक राज्य सरकारों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े (एस.ई.बी.सी) आयोगों को भी नियुक्त किया। इन आयोगों का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उन्हें अनुसूचित जातियों, जन-जातियों एवं वर्गों को दिये जाने वाले विशेष लाभ जैसे सुझाव देना था। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार ने छेदीलाल सेठी आयोग का गठन किया और बिहार में कर्पूरी ठाकुर वाली जनता पार्टी ने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया ताकि पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके। उनके लिए आरक्षण

लागू करने के उपाय दिये जा सके। आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1970 के दशक में दोनों सरकारों रामनरेष यादव सरकार ने उ.प्र. तथा करपूरी ठाकुर की सरकार ने बिहार ने आरक्षण को लागू किया। दक्षिण भारत में अन्य उत्तर भारतीय राज्यों से पहले ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया था।

13.8 कर्पूरी ठाकुर फार्मूला

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधानों की सीमाऐं हैं। इनमें से प्रमुख सीमाऐं इस प्रकार हैः- पिछड़ें वर्गों की जातियों का एक समूह है, जिनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर असमान हैं। अन्य पिछड़े वर्गों में राजनीतिक और आर्थिक रूप में प्रभावशाली कृषि समुदाय जैसे यादव, कुर्मी, जाट, बोकालिण्गा, गुर्जर इत्यादि शामिल है तथा सामाजिक रूप से उपेक्षित जातियां भी थी जो ''जजमानी व्यवस्था'' से जुड़ी थी, जिन्हें हम अति पिछड़े वर्ग (एम.बी.सी.) के रूप में भी जानते हैं। हालांकि इनमें बड़ी संख्या में जातियां है, लेकिन एकल जातियों की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है। अति पिछड़े वर्गों का आरोप है कि अपनी प्रबल स्थिति के कारण; किसान जातियाँ या मध्यम जातियों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपयुक्त बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में सफल रही है। उनकी यह माँग है कि अन्य जातियों के कोटा को विभिन्न जातियों में विभाजित किया जाये। इसकी मांग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उठाई जाने लगी। कर्पूरी ठाकुर सूत्र का सुझाव था कि कोटे को उप-विभाजित किया जाये। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, 1970 में उन्होंने पिछड़े वर्ग को अत्यंत पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ई.बी.सी.) के नाम से विभाजित करके आरक्षण की शुरुआत की थी।

13.9 महिलाओं के लिए आरक्षण

इसकी माँग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उठाई जाने लगी। 1992 और 1993 में संविधान के 72वाँ एवं 73वाँ संशोधन पारित हुए थे जिसमें महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। इन संशोधनों से पूर्व महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आरक्षण ने महिलाओं के बीच विश्वास पैदा किया और उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक बनाया। राजनीतिक संस्थाओं में स्थानीय स्तर पर आरक्षण के लागू होने से पहले ही महिलाओं की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लेकिन व्यवहार में कई कमियां दिखाई दी है। कई मामलों में, महिला प्रतिनिधित्वों के स्थान पर उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति, पिता, भाई इत्यादि ने उनका वास्तविक स्थान ले लिया था। औपचारिकता पूरी करने के लिये निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किये लेकिन कुछ अपवाद भी है, जहाँ महिला प्रतिनिधियों ने अपने दायित्वों को स्वतंत्र रूप से पूरा किया। स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन में संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण 1980 के दशक में हुए नये सामाजिक आंदोलनों का परिणाम था। इस आंदोलनों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। संसद और विधान सभाओं जैसे उच्च स्तर की राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की माँग को भी उठाया गया है। इस तरह की माँग नागरिक समाज के संगठनों, बुद्धिजीवियों तथा कई राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त की जाती है। लेकिन इस मामले पर पार्टियों के बीच एक राय नहीं थी। राजनीतिक नेताओं का एक वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध करता है और यह तर्क देता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण पिछड़े वर्गों के हिस्से में कटौती करेगा। संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा करने वाले महिला विधेयक को राज्य सभा में 9 मार्च 2010 को पारित किया। जिसमें 186

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सदस्यों ने इसका समर्थन किया, जबकि एक सदस्य ने इसका विरोध किया था। अभी इसे लोक सभा में पारित करना बाकी है फिर यह कानून बनेगा। हालांकि नागरिक समाज के संगठनों की हमेशा यह माँग रही है कि महिलाओं के लिए संसद एवं विधान सभाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिये।

13.10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्लू.एस.) के लिये आरक्षण

भारत में सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन और छुंआछूत के अलावा आर्थिक रूप से गरीब तबका भी है लेकिन वह सामाजिक तौर पर पिछड़ा नहीं है। इन लोगों को सकारात्मक कार्यवाही जैसे कार्यक्रमों यानि आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। ये सामान्यतया सामान्य वर्ग के लोगों है तथा एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. की जैसी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते है। भारत सरकार ने ऐसे वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) माना है या परिभाषित किया है। जनवरी 2019 में, सरकार ने इन वर्गों के लिए केन्द्र सरकार के संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। वह व्यक्ति जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये तक हो वह इस श्रेणी में आता है। इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के 124वें संशोधन विधेयक 2019 में रखा गया है। इस प्रावधान के तहत् केन्द्रिय संस्थानों में भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण प्रदान किया गया है।

अभ्यास प्रश्न 3

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्या हैं?

....

....

....

....

....

....

2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.बी.एस) में आरक्षण के लिए कौन योग्य है?

....

....

....

....

....

....

....

13.12 सारांश

आरक्षण एक युक्ति है जो कि कमजोर वर्गों जैसे एस.सी., एस.टी. महिलाओं, ओ.बी.सी. अथवा ई.वी.एस. को सार्वजनिक संस्थानों में शामिल करने के लिए राज्य द्वारा विभिन्न नीतियों द्वारा प्रदान किया जाता है। इन नीतियों के बिना, भारत जैसे असमान समाज में, ये वर्ग अपनी आशाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। आरक्षण से राज्य इन वर्गों के लिए सार्वजनिक संस्थाओं में स्वास्थ्य शैक्षिक, प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं मेंकुछ प्रतिशत पदों को आरक्षित करता है। ये पद आरक्षित पदों के लिए होते है जिन्हें गैर आरक्षित वर्गों के लिए नहीं रखा जा सकता। आरक्षण एक गैर-आरक्षित वर्गों के खिलाफ सकारात्मक कार्यवाही है। इसका लक्ष्य उन वर्गों को राहत पहुँचाना है जो समाज में भेदभाव के शिकार रहे है। आरक्षण राज्य द्वारा किए जाने वाला सकारात्मक कार्य है। आरक्षण संविधान के अनु. 15 (4) एवं 16 (4) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। 1993 में अन्य पिछड़े वर्गो को सरकारी संस्थाओं में आरक्षण मंडल आयेाग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद मिला था। उन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर आरक्षण मिला। दक्षिण भारत के राज्यों में उत्तर भारत की तुलना में राज्यों में बहुत पहले ही ओ.बी.सीज. आरक्षण दे दिया गया उत्तर-प्रदेश एवं बिहार में पहली बार ओ.बी.सी. आरक्षण जनता पार्टी की सरकार ने 1970 के दशक में दिया था। महिलाओं के लिए आरक्षण स्थानीय स्वशासन में 72वें एवं 73वें संशोधन के बाद 1990 में दिया गया। 2019 में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आरक्षण ने उनके सशक्तिकरण में काफी योगदान दिया था। तथापि विभिन्न जातियों को आरक्षण दिये जाने के बाद भी आरक्षण का प्रश्न हल नहीं हुआ है। ओ.बी.सी. एवं एस.सी. वर्ग में यह आरोप लगाया जाता है कि ओ.बी.सीज. के प्रभुत्व वर्ग को ही आरक्षण ज्यादा लाभ पहुँचा है। उनकी माँग है कि कुछ सीटों में उनके लिए ओ.बी.सीज. के आरक्षण में विभाजन कर देना चाहिए।

13.13 संदर्भ

ब्लेयर, हेरी (1980), राइजिंग कुलक्स एण्ड बैकवर्ड क्लासेस इन बिहारः सोशल चेंज इन द लेट 1970ज, *ई.पी.डब्ल्यू,* जनवरी, 12.

हसन, जोया (1998), क्वेस्ट फोर पावरः अपोजीशनल मूवमेंट एंड पोस्ट कॉंग्रेस पोलिटिक्स इन उत्तर-प्रदेश, ओ.यू.पी. दिल्ली।

जैफ़रलो, क्रिस्टोफ (2003), ''इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशनः द राइज ऑफ लो कास्ट इन नार्थ इंडियन पोलिटिक्स, दिल्ली.

मंडेलसन, ओलिवर, एण्ड विकजियानी (1998), द अनटचैबिल्सः सेबोर्डिनेशन, पोवर्टी एंड द स्टेट इन मोडर्न इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

शाह, घनस्याम, (1985), ''कास्ट, क्लास एन्ड रिजर्वेशन'', ई.पी.डब्ल्यू, खंड नं.2 3.

शाह, घनस्याम, (1987), ''मिडिल क्लास पोलिटिक्स, केस ऑफ एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट इन गुजरात'' ई.पी.डब्ल्यू, वार्षिक नंबर।

शाह, घनस्याम, (स.) (2002), ''सोशल बैकवर्डनेश एण्ड द पोलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन'', इन कास्ट एण्ड डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स इन इंडिया, परमानेंट ब्लैक, दिल्ली.

सेठ, डी.एल. (1987), ''रिजर्वशंस पोलिसी रिविजिटेड'', ई.पी.डब्ल्यू, वोल्यूम नं. 22, 46, 14 नवम्बर.

13.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) आरक्षण एक प्रकार की युक्ति है जिसमें कुछ सीटें कमजोर वर्गो के लिए आरक्षित की जाती है। इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो समाज में पिछड़े है। गैर-आरक्षित वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते।

2) आरक्षण के पक्ष में एक एवं विपक्ष में दो तर्क दिये गये थे संविधान सभा में। विपक्ष के तर्क इस प्रकार हैः- पहला तर्क यह है कि इससे मेरिट एवं कुशलता पर प्रभाव पड़ता है तथा दूसरा इससे समाज में फैली असमानताओं को दूर करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। यद्यपि, यह आरक्षण का विरोध नहीं करता। आरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि यह जरूरी है और ये लोगों की उम्मीदों को पूरी करेगी।

अभ्यास प्रश्न 2

1) कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इस आयेग का गठन सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सीज) की पहचान करना था जो एस.सीज., एस.टीज. से अलग हो, तथा इन वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने का सुझाव देना। इस आयोग ने केन्द्र सरकार की नौकरी में आरक्षण का सुझाव दिया जिसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह समाज को विभाजित कर देगा।

2) मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था जिसके अध्यक्ष बी.पी. मंडल थे। इसकी रिपोर्ट वी.पी. सिंह सरकार ने लागू की एवं 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और इसे लागू किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें लगाई जिसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर को इससे दूर रखा जाये तथा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले से ही एस.सीज., एस.टीज. के लिये 22.5 प्रतिशत आरक्षण का गठबंधन था इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27.5 प्रतिशत आरक्षण तय किया।

अभ्यास प्रश्न 3

1) कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के अंतर्गत ओ.बी.सीज. कोटा को विभाजित करके उसे विभिन्न समुदायों में उप-विभाजित किया गया। इस वर्गों को अति पिछड़ा की श्रेणी में रखा गया। इस फार्मूले को को कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 1970 के दशक में ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण शुरू किया।

2) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामान्य वर्ग में रखा गया है। ये एस.सी.ज., एस.टी.ज. तथा ओ.बी.सीज. से अलग होते हैं। जिनकी वार्षिक आय आठ लाख से कम हो। उनके लिये केन्द्र सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।